



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15022021-225167
CG-DL-E-15022021-225167

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 71]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 15, 2021/माघ 26, 1942

No. 71]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 15, 2021/MAGHA 26, 1942

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2021

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं.पीआर/237/15-डीडी/261/15/डीसी/767/2018.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. गुरुसामी सी (सदस्यता संख्या 208976), 252/ई/4, मध्य मार्ग पूर्व, अरुमुगा मैरिज हॉल के समीप, छत्रपति, विरुद्धनगर जिला, राजापलयम (तमिलनाडु) – 626 102 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (7) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. गुरुसामी सी (सदस्यता संख्या 208976) के नाम को 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 1,00,000/- रुपए (एक लाख रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. गुरुसामी सी (सदस्यता संख्या 208976) का नाम, 15 फरवरी, 2021 से 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

राकेश सहगल, कार्यकारी सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./505/2020-21]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTIFICATIONNew Delhi, the **15th February, 2021****(CHARTERED ACCOUNTANTS)**

No. PR/237/15-DD/261/15/DC/767/2018.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Gurusamy C (Membership No. 208976) 252/E/4, Middle Street East, Near Arumuga Marriage Hall, Chatrapatti, Virudhnagar Distt., Rajapalayam (Tamilnadu) - 626102**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (7) of Part I of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid CA. Gurusamy C (Membership No. 208976) from the Register of Members for a period of 01(One) year and also imposed a fine of Rs. 1,00,000/-(One Lakh) only. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Gurusamy C (Membership No. 208976)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of 01(One) year with effect from 15th February, 2021.

RAKESH SEHGAL, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./505/2020-21]

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15022021-225166
CG-DL-E-15022021-225166

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 68]
No. 68]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 15, 2021/माघ 26, 1942
NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 15, 2021/MAGHA 26, 1942

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2021

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/43/15/डीडी/76/15/डीसी/511/16.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. शिवारामन एस (सदस्यता संख्या 018251), द्वार संख्या 63, राम नगर, तीसरी गली, केनरा बैंक के सामने, मदुरै 625 010 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग II के खंड (3) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. शिवारामन एस (सदस्यता संख्या 018251) के नाम को 03 (तीन) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. शिवारामन एस (सदस्यता संख्या 018251) का नाम, 15 फरवरी, 2021 से 03 (तीन) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

राकेश सहगल, कार्यकारी सचिव

[विज्ञापन-III/4असा./502/ 2020-21]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2021

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/43/15/DD/76/15/DC/511/16.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Sivaraman S (Membership No. 018251), Door No. 63, Ram Nagar, 3rd Street, Opp to Canara Bank, MADURAI 625 010**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (3) of Part II of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid CA. Sivaraman S (Membership No. 018251) from the Register of Members for a period of 03(three) months. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Sivaraman S (Membership No. 018251)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of 03(three) months with effect from 15th February, 2021.

RAKESH SEHGAL, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./502/2020-21]